Annexure-1

Page No-(1)

APPLICATION FOR SELF ASSESSMENT

Case Id : 3705

Employee Id : 2167

3 MONTHS COMPLETION

Whether 3 Months are complete for remarks of DISTRICT JUDGE? Yes

SELF ASSESSMENT FORM PART I

1.	Self Assessment Period	01/04/2020 - 31/03/2021	
2.	Name of the Officer	NAND PRATAP OJHA	
3.	Designation	A.D.J. (POCSO)	
4.	Date of Joining Service / Length of Service	02/07/2015 (5 Years 9 Months and 6 Days)	
5.	Place of Posting	Aligarh Posting Details During Self Assessment Period Not Available	
6.	Any other charge held during the financial year	**Officer Incharge Record Room,Aligarh**	
7.	Year wise break up of cases	File Attached	Attachment Available
8.	Courts held during the financial year	File Attached	Attachment Available
9.	In how many cases have you framed the issues	NIL	
10.	In how many cases have you framed the charge	203	
11.	Number of cases in which Judgment not delivered within 15 days of conclusions of argument	None	
12.	Percentage of appeals remanded by the officer	None	

Self Attested
18.8.2021

13. Inspections File Attached Attachment Available

14. Remarks if any

- **P.E-36/19 Received on 10.07.2020 and is pending due to not serving process upon shri Anil kumar Mishra by administrative office of District court,Aligarh.**
- **16 Units deducted from total achieved units due to pending abobe enquiry.**
- **N.J.E-13/2018 Received on 30.01.2021 and six month have not completed.**

15. Details of the works by the officer File Attached Attachment Available

16. Performance in Lok Adalat **NiL**

SELF ASSESSMENT FORM PART II

1. Brief description of duties **Officer incharge record room since 29.05.2020-till now.**

2. Norms set and achieved in respect of disposal of cases.

Target	**Achievements**
Total Target Units = 1200 Units	**Total Units Achieved = 1496.87 Units**
	Dedection = 16 Units
	Total Units = 1480.87 Units

2A. Steps taken to dispose of old matters which are more than 5 years old. Attachment Available

Target

Achievements

- **Regular monitoring by presiding officer.**
- **Short date being given.**
- **Compliance Upon witness though special messenger.**
- **Regular/Proper sitting on desk.**

2A(i). Pendency of such matters at the commencement of the year. Attachment Available

Target

Achievements

01.04.2020 =86

31.03.2021 =111

Self Attested, [signature] 18.8.2021

2A(ii). Number of such matters disposed of during the year. Attachment Available

Target	Achievements
04	04

2B. Steps taken to dispose of old matters which are more than 10 years old.

Target

LA Recieved by Transfer

Achievements

- Regular monitoring by presiding officer.
- Short date being given.
- Compliance Upon witness though special messenger.
- Regular/Proper sitting on desk.

2B(i). Pendency of such matters at the commencement of the year. Attachment Available

Target

Achievements

01.04.2020 =01 (L.A.)

31.03.2021 =01 (L.A.)

2B(ii). Number of such matters disposed of during the year. Attachment Available

Target	Achievements
01	Ripe for decission

2C. Steps taken to dispose of cases of persons with more than 65 years of age.

Target	Achievements
Nil	NIl

2C(i). Pendency of such matters at the commencement of the year. Attachment Available

Target	Achievements
Nil	NIL

2C(ii). Number of such matters disposed of during the year. Attachment Available

Target	Achievements
NIL	NIL

3. Please state briefly the shortfalls with reference to the targets / objectives referred to at S. No. 02 above. Please specify constraints, if any, in achieving the targets. Attachment Available

Self Attested
18.11.2021

Target **Achievements**

Annexure-I

(19)

- L.A pending due to death of parties.
- Closing court due to covid-19.

4. Academic and professional achievements during the year, including degree(s) obtained and/or books/articles published.

Target	Achievements
Hon'ble High court nominated to me for 09 months online PG diploma on Cyber law,crime investigation and digital forensic being organized by NLIU,Bhopal.	NIl

5. Whether attended any workshop, course, programme, etc., organized by Judicial Academy and/or any other organization during the period in question? If so, give details.

Target	Achievements
	• Appeared in online cluster training. • Second online course on forensic examination in sexual Assault cases dated 14-15 jan 2021 from NICSF. • Judicial colloquium scheduled on 21.03.2021 by JTRI,Lucknow.

6. Whether visited Judicial Academy as Faculty Member. If so, give details about the nature of lecture(s) given/topic(s) discussed.

Target	Achievements
NIL	NIL

Judgment Attachments

Attachment	Uploading Date
Sassion. Case No.55@2015 Us 376.2. IPC & 3.4 Pocso Act PS Palimukimpur Judgment Dated 08.2.21 (https://dc.allahabadhighcourt.in/assets/documents/acr/acr1617878280.pdf)	08/04/2021
Sassion. Case No.48@2014 Us 363.366.368.376. 323.506 IPC With read Sec.3.4 Pocso Act PS Iglash Judgment Dated 04.3.21 (https://dc.allahabadhighcourt.in/assets/documents/acr/acr1617876463.pdf)	08/04/2021
Cri.Appeal No. 22@21 Jubainile Bail 452.307.302. 336. 34IPC Date 22.3.21 (https://dc.allahabadhighcourt.in/assets/documents/acr/acr1617876435.pdf)	08/04/2021

Applying Date

Date 08/04/2021

Self Attested
18.8.21

Annexure -I

(20)

Annexure-1

Statement of out turn according to prescribed standard showing the Civil & Criminal work disposed off during the period with effect from 01.04.2020 to 31.03.2021 by NAND PRATAP OJHA as Addl. District & Sessions Judge/special Juge(Pocso Act), Aligarh.

Working days

Sunday	:	40.00 days
II Saturday	:	09.00 days
IV Saturday	:	08.00 days
Holiday	:	15.00 days
Reccess	:	10.00 days
Lockdown Leave	:	68.00 days
C.L.	:	15.00 days
Local holiday	:	01.00 days
Local Holiday/Training	:	01.00 days
Training	:	01.00 days
Quarantine Leave+Winter vacation	:	21.00 days
Actual working days	:	**176.00days**
Total	:	**365.00 days**

Details of work-done (Criminal)

07 Warrant & criminal Cases Decided	@ 8 unit	= 7x8.00	= 56.00 unit
01 session Trial Decided after full trial	@ 8 unit	= 1x08.00	= 08.00 unit
01 session Cases Decided after full trial	@ 10 unit	= 1x10.00	= 10.00 unit
02 session Trial Decided after full trial	@ 10 unit	= 2x10.00	= 20.00 unit
04S.T Decided full trial more than 5 Years	@ 10 unit+8	= 4x10.00+8	= 48.00 unit
01 Session case decided hostile	@ 2.5 unit	= 1x2.50	= 2.50 unit
13 Crl App. decided full trail	@ 3 unit	= 13x3.00	= 39.00 unit
26 Crl. Misc. 156(3)	@ 1 unit	= 26 X 1	= 26.00 unit
127 Crl. Misc. decided full trail	@ NIL	= 127X NIL	= 00.00 unit
10 F.R.(Pocso) decided after full trial	@ NIL	= 10 x NIL	= 00.00 unit
TOTAL			**= 209.50 unit**

Self [signature] 10.8.21

Annexure - 1

(21)

Details of Extra work-done :

Above 500 Cases pending in this court		= 100.00unit
Data Accuracy of NJDG Portal 176 A/W days X@ .25		= 44.00 unit
Witness Recorded 349 Pages (1 unit for every 10 pages		= 34.90 unit
11 Special Judge Pocso		= 110.00unit
10 Work of Administrative	10 x @ 5.00	= 50.00 unit
203 Charge framing	203x @ 0.5	= 101.50unit
407 Bail Application Decided	407 x @ 0.15	= 61.05 unit
09 Bail Application Notpress	09 x @ Nil	= 00.0 unit
04 Office Inspection		= 40.00 unit
04 Record Room Inspection		= 40.00 unit
01 Annual Inspection Of ACJ(SD) Court No-3		= 10.00 unit
14 Day Link Officer		= 42.00 unit
02 Application Decided 227 CrPC		= 02.00 unit
01 Application Decided 319 CrPC		= 01.00 unit
10 Statement recorded 200&202 CRPC	@ 0.5 unit = 10x0.5	= 05.00 unit
06 Application Decided 311 CrPC		= 06.00 unit
10 Statement recorded 313 CRPC	@ 0.5 unit = 10x0.5	= 05.00 unit
01 Nari Niketan Inspection		= 04.00 unit
01 Preliminary Enquiry	01 x @ 3.00	= 03.00 unit
01 Departmental Enquiry	01 x @ 8.00	= 08.00 unit
Total		**= 667.45 unit**

159 Leave	159 x @ 3.28	= 521.52 unit
30 Lockdown leave	30 x @ 3.28	= 98.40 unit

189 Days As per Annexure 'E' Excluded units 189x@ 3.28 / holiday or leave = 619.92 units

Actual working days = 176.00 days

Total Calendar days = 365.00 days

Total work-done (Criminal+Extra+Exclude -Pending P.E)={209.5+667.45+619.92-16}= 1480.87

Total Achieved units= 1480.87 units

self Attested
10.8.2021

(Nand Pratap Ojha)
Addl. Distt. & Sessions Judge/
Special Judge (Pocso Act), Aligarh

Annexure - 2

(22)

प्रेषक,

नन्द प्रताप ओझा,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय जिला जज,
अलीगढ़।

विषय :– वार्षिक प्रविष्टि के विरूद्ध माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिवेदन करने हेतु आवश्यक प्रपत्र प्रदान कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि श्रीमान जी द्वारा मेरी वार्षिक प्रविष्टि के रिमार्क कॉलम में पी0ई0 नम्बर–36/2019 के सम्बन्ध में टिप्पणी अंकित की गयी है, जो भविष्य में मेरे विरूद्ध पढ़ी जाएगी, जिसके सम्बन्ध में माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मेरे द्वारा प्रतिवेदन करने की मजबूरी है, जिसके लिए उपर्युक्त पी0ई0 नम्बर–36/2019 में संलग्न निम्नलिखित प्रपत्रों की प्रतियों की आवश्यकता है–:

1. उपर्युक्त पी0ई0 में संलग्न अभिलेखपाल सत्र द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश अलीगढ़ को प्रेषित पत्र दिनांकित 26.11.19 एवं उपर्युक्त पत्र के सन्दर्भ में जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ का प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार, जिला न्यायालय अलीगढ़ को प्रश्नगत पत्रावली अभिलेखागार में उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में तथ्यात्मक जांच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु पारित आदेश दिनांकित 10.12.2019 की प्रति,
2. उपर्युक्त पी0ई0 में संलग्न आदेश–पत्र दिनांकित 20.01.2020 की प्रति,
3. उपर्युक्त पी0ई0 में संलग्न आदेश–पत्र दिनांकित 13.04.2020 की प्रति,
4. उपर्युक्त पी0ई0 में संलग्न आदेश–पत्र दिनांकित 07.07.2020 की प्रति,
5. उपर्युक्त पी0ई0 में संलग्न कि.मि. नं0–4438/2002 सौदान सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांकित 23.02.2021 की प्रति,
6. उपर्युक्त पी0ई0 में संलग्न श्री लक्ष्मी नारायण, सेवानिवृत्त लिपिक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांकित 29.01.2020 की प्रति,
7. उपर्युक्त पी0ई0 नं0 36/2019 के आदेशपत्र दिनांकित 31.02.2021 की प्रति,
8. उपर्युक्त पी0ई0 में तत्कालीन जांच अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा माननीय जिला जज सिद्धार्थनगर को प्रेषित पत्र दिनांकित 08.02.2020 एवं श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, सिद्धार्थनगर को प्रेषित नोटिस की प्रति,
9. उपर्युक्त पी0ई0 में पारित आदेश–पत्र दिनांकित 03.10.2020, माननीय जनपद न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर को प्रेषित पत्र एवं श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी लिपिक, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर को प्रेषित नोटिस की प्रति,
10. उपर्युक्त पी0ई0 में पारित आदेश–पत्र दिनांकित 26.02.2021, माननीय जनपद न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर को प्रेषित पत्र एवं श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी लिपिक, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर को प्रेषित नोटिस की प्रति,
11. उपर्युक्त पी0ई0 में संलग्न माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित पत्र सं0–429 दिनांकित 02.03.2021 की संलग्नकों सहित प्रति,

Self Attested
10.8.2021

Annexure-2, Page-2

(23)

12. माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ को प्रेषित जवाब दिनांकित 03.03.2021 की प्रति, बावत माननीय जनपद न्यायाधीश के पत्र संख्या 429 दिनांकित 02.03.2021,

13. प्रभारी, जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.03.2021 की प्रति,

14. उपर्युक्त पी0ई0 में पारित आदेश–पत्र दिनांकित 06.03.2021 की प्रति,

15. उपर्युक्त पी0ई0 में पारित आदेश–पत्र दिनांकित 06.03.2021 की प्रति,

16. उपर्युक्त पी0ई0 में पारित आदेश–पत्र दिनांकित 12.03.2021, माननीय जनपद न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर को प्रेषित पत्र एवं श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी लिपिक, जनपद न्यायालय, सिद्धार्थनगर को प्रेषित नोटिस मय भूल सुधार पत्र दिनांकित 20.03.2021 की प्रति,

17. उपर्युक्त पी0ई0 में पारित आदेश–पत्र दिनांकित 16.03.2021 की प्रति,

18. उपर्युक्त पी0ई0 में पारित आदेश–पत्र दिनांकित 16.03.2021, माननीय जनपद न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर को प्रेषित पत्र दिनांकित 16.03.2021 एवं श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी लिपिक, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर को प्रेषित नोटिस की प्रति,

19. उपर्युक्त पी0ई0 में संलग्न प्रगति आख्या दिनांकित 18.03.2021 की प्रति,

20. उपर्युक्त पी0ई0 में संलग्न पत्र दिनांकित 23.03.2021, जिसके माध्यम से विशेष वाहक द्वारा श्री अनिल मिश्रा, तृतीयश्रेणी लिपिक, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर पर नोटिस तामील कराए जाने का अनुरोध किया गया की प्रति,

21. उपर्युक्त पी0ई0 में संलग्न प्रगति आख्या दिनांकित 23.03.2021 की प्रति,

22. उपर्युक्त पी0ई0 में पारित आदेश–पत्र दिनांकित 03.04.2021 एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित प्रगति आख्या की प्रति,

23. उपर्युक्त पी0ई0 में संलग्न प्रगति आख्या दिनांकित 18.03.2021 पर श्रीमानजी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2021 की प्रति,

24. उपर्युक्त पी0ई0 में संलग्न प्रगति आख्या दिनांकित 18.03.2021 पर श्रीमानजी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.03.2021 के आलोक में प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित मार्च 18, 2021 की प्रति मय संलग्नक।

25. माननीय जिला जज, अलीगढ़ द्वारा प्रारम्भिक जांच आख्या संख्या 36/2019 अन्तरण आदेश दिनांकित 07.04.2021 की प्रति।

Recd. 28/7/21 11:15 am.

सादर।

भवदीय,

दिनांक :– 27.07.2021

Self Attested 28.07.2021

(नन्द प्रताप ओझा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
अलीगढ़ J.O.Code No. UP 2167

Annexure-3

24

प्रेषक,

नन्द प्रताप ओझा,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय जिला जज,
अलीगढ़।

विषय :— वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020—2021 के विरूद्ध माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिवेदन करने हेतु आवश्यक प्रपत्र प्रदान कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि श्रीमान जी द्वारा मेरी वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020—2021 में टिप्पणी अंकित की गयी है, जो भविष्य में मेरे विरूद्ध पढ़ी जाएगी,जिसके सम्बन्ध में माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मेरे द्वारा प्रतिवेदन करने की मजबूरी है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रपत्रों की प्रतियों की आवश्यकता है—:

1. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्र संख्या 815/इन्फ्रा सेल: इलाहाबाद, दिनांक 16 अक्टूबर 2020, जिसके माध्यम से जनपद न्यायालय स्थित न्यायालयों के डायस को शेष न्यायालय कक्ष से विभाजित करते हुए कोई प्रोटेक्टिव ट्रान्सपैरेन्ट प्लेक्सी शीट लगवाने हेतु निर्देशित किया गया था, के आलोक में मेरे द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित पत्र दिनांकित 29.06.2021 की प्रति।

2. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट), अलीगढ़ में लम्बित सेशन केस नम्बर—2950/2020 राज्य बनाम लवकुश एवं अन्य, अन्तर्गत धारा 323, 504,506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना जवां, जिला अलीगढ़ के अभियुक्त हरप्रसाद द्वारा आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त प्रस्तुत जमानत आदेश दिनांकित 06.04.2021 की प्रति, जिस पर श्रीमान जी द्वारा मुझसे स्पष्टीकरण इस आशय का मांगा गया कि जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय के इण्डोर्समेंट के बाद अधिवक्ता के हाथ में कैसे आ गया (जो श्रीमान जी द्वारा अभी डिटेन है) की प्रति,

3. मु0अ0सं0—716/2021 अन्तर्गत धारा 354,323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7/8 पोक्सो एक्ट, थाना क्वार्सी, जिला अलीगढ़ के अभियुक्त महबूब पुत्र सुलेमान प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र कम्प्यूटर पर दर्ज कर सी.एन.आर. नम्बर अंकित न किए जाने के सम्बन्ध में सिस्टम आफिसर के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु प्रेषित पत्र दिनांकित 06.07.20121 की प्रति,

4. श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश संख्या 125 सन् 2021 दिनांकित 07.07.2021 जिसके द्वारा आफिसर इन्चार्ज बनाए गए हैं, की प्रति,

5. श्रीमान जी द्वारा वार्षिक टिप्पणी सन् 2020—2021 के सम्बन्ध में मेरे द्वारा पक्षद्रोही साक्ष्य के आधार पर निर्णीत किए गए मुकदमों का विवरण मांगे जाने सम्बन्धी आदेश दिनांकित 14.07.2021 की प्रति,

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि मुझे उपर्युक्त वांछित प्रपत्र प्रदान कराने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक :— 28.07.2021

(नन्द प्रताप ओझा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
अलीगढ़ J.O.Code No. UP 2167

Self Attested
18.08.2021

Annexure - 8 (Page-2)

(25)

प्रेषक,

नन्द प्रताप ओझा,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय जिला जज,
अलीगढ़।

विषय :– वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020–2021 के विरूद्ध माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिवेदन करने हेतु आवश्यक प्रपत्र प्रदान कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि श्रीमान जी द्वारा मेरी वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020–2021 में टिप्पणी अंकित की गयी है, जो भविष्य में मेरे विरूद्ध पढ़ी जाएगी, जिसके सम्बन्ध में माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मेरे द्वारा प्रतिवेदन करने की मजबूरी है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रपत्रों की प्रतियों की आवश्यकता है–:

1. अभियुक्त हर प्रसाद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 07.04.2021 जिस पर श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.04.2021, जिसके द्वारा पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि यदि आज अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया हो तो विधि अनुसार निस्तारित कर दिया जाए की प्रति,

2. अभियुक्त हरप्रसाद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2071/2021 हरप्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य, सेशन केस नम्बर–2950/2020 राज्य बनाम लवकुश एवं अन्य, मुकदमा अपराध संख्या 459/2020, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना जवां, अलीगढ़ में पारित आदेश दिनांकित 07.04.2021 की प्रति,

उपर्युक्त दोनों प्रपत्र न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) अलीगढ़ में लम्बित सेशन केस नम्बर–2950/2020 राज्य बनाम लवकुश एवं अन्य, मुकदमा अपराध संख्या 459/2020, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना जवां, जिला अलीगढ़ में संलग्न हैं।

3. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट), अलीगढ़ के कार्यालय की डाकबही से सिस्टम आफिसर को प्रार्थनापत्र प्राप्त कराए जाने सम्बन्धी प्रविष्टि दिनांक 09.04.2021 की प्रति,

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) अलीगढ़ के कार्यालय लिपिक को निर्देशित करें कि उपर्युक्त वांछित प्रपत्र मुझे प्रदान करें।

28/7/21
01:20 pm

सादर।

भवदीय,

दिनांक :– 28.07.2021

(नन्द प्रताप ओझा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
अलीगढ़ J.O.Code No. UP 2167

Self Attested
18.8.2021

Annexure-4

(2) (26)

सेवा में,
श्रीमान जनपद न्यायाधीश
अलीगढ़

द्वारा :- श्रीमान प्रभारी अधिकारी
अभिलेखागार, जजी
अलीगढ़

विषय :- सत्र परीक्षण संख्या-1517/96 राज्य प्रति श्योपाल आदि के न मिलने के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या-53167/23-10-19 के अनुपालन में क्रिमिनल अपील नं०-4438/02 श्योदान सिंह आदि प्रति राज्य के निस्तारण के लिए न्याया० ADJ-3. S.No-1517/96 राज्य प्रति श्योपाल आदि u/s 302 आई पी सी थाना ... अलीगढ़ निर्णीत दि०-5/15.10.02 की पत्रावली तलब की गयी थी एवं उक्त पत्रावली रिकार्ड रूम दि०-25-11-02 को दाखिल दफ्तर होना पायी जाती है।

प्रार्थी द्वारा उक्त पत्रावली को पुनः काफी गहनता से अपने अभिलेखागार एवं अन्य सम्भावित जगहों पर भी सघनता से तलाश करने पर भी नहीं मिल पा रही है एवं उक्त पत्रावली को तलाशने हेतु पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा एक माह का समय दिये जाने की याचना पत्र मा० उच्च न्यायालय को पूर्व में प्रेषित किया गया था, परन्तु उक्त पत्रावली नहीं मिल पा रही है।

अतः सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

दिनांक-26.11.19

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

प्रार्थी
(हस्ताक्षर)
अभिलेखपाल सत्र
अलीगढ़

Sir, Forwarded
(Sd.) 28.11.19

Sd/- Attested
10.8.2021

श्रीमान जी
वांछित आदेश रिपोर्ट 10/12/2019 प्रतिलिपि प्रेषित
अवलोकनार्थ
(हस्ताक्षर)

Annexure No-5

(27)

कार्यालय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़।

आदेश

पृष्ठांकित परिस्थितियों के अनुसार प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार, जिला न्यायालय, अलीगढ़, प्रशनगत पत्रावली अभिलेखागार में उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में तथ्यात्मक जांच कर जांच आख्या 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

प्रशासनिक अधिकारी तथ्यात्मक जांच सम्बन्धित पंजिका में दर्ज कर प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार, जिला न्यायालय, अलीगढ़ के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

जिला न्यायाधीश,
अलीगढ़।
10.12.2019

Self Attested
10.8.2021

संलग्न - 5/1

Annexure No - 6

(6)

(28)

8/1

सेवा में,

श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय
एस.सी. एस.टी. एक्ट अलीगढ़।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी से श्रीमानजी के आदेशानुसार न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 3 अलीगढ़ द्वारा निर्णित पत्रावली सत्र परीक्षण सं० 1517/96 राज्य प्रति रूपोदान आदि अन्तर्गत धारा-302 भा०द०सं० थाना टप्पल के सम्बन्ध में, स्पष्टीकरण माँगा गया है।

अतः उक्त पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या - 1517/96 राज्य प्रति रूपोदान आदि अन्तर्गत धारा-302 भा०द० सं० थाना-टप्पल से सम्बन्धित गोशवारा देखने से प्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि उक्त पत्रावली प्रार्थी ने सम्बन्धित बस्ते में दिनांक - 25-11-02 को शामिल करके यथास्थान मौके पर अभिलेखागार में रख दी थी, तथा प्रार्थी का स्थानान्तरण अभिलेखागार जजी अलीगढ़ से होने पर अभिलेखपाल सत्र का कार्यभार श्री अनिल मिश्रा को सौंप दिया था।

अतः उक्त सत्र परीक्षण के सम्बन्ध में श्री अनिल मिश्रा तत्कालीन अभिलेखपाल सत्र से जानकारी करने की कृपा की जाय। श्रीमानजी की महान कृपा होगी।

दिनांक - 29-1-2020

प्रार्थी -
लक्ष्मीनारायण
सेवा निवृत लिपिक
जजी अलीगढ़

संलग्न - गोशवारा न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दिनांकित 25-11-02 माह अक्टूबर सन् 2002

Self Attested
[signature]
10.8.21

Annexure No - 7

संलग्न-6

(२१)

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह II,
विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट,
अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय जिला न्यायाधीश,
सिद्वार्थ नगर।

महोदय,

सादर निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित क्रिमिनल अपील सं0–4438 / 02 सौदान सिंह आदि बनाम राज्य के निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–3 अलीगढ़ द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–1517 / 96 राज्य बनाम श्यौदान आदि अन्तर्गत धारा–302 भा0द0स0 थाना टप्पल जिला अलीगढ़ द्वारा निर्णीत पत्रावली तलब की गई है। जिसे निर्धारित मौके पर उपलब्ध न होने के कारण प्रारम्भिक जांच विचाराधीन है। जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण आहूत किये गये जिसके अनुसार उक्त पत्रावली अन्तिम बार श्री अनिल मिश्रा के चार्ज में दिये जाने का कथन किया गया है। उक्त कर्मचारी आपके अधीनस्थ है।

अतः माननीय महोदय से सादर अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न नोटिस की तामीला कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित कर आपके अधीनस्थ कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारी श्री अनिल मिश्रा को दिनांक 18–02–2020 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें जिससे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सादर।

दिनांक–08–02–2020

भवदीय,
8.2.20
(सुरेन्द्र सिंह II)
जॉच अधिकारी /
विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट,
अलीगढ़।

लिफाफा प्राप्त किया
11/2/2020

Self Attested
18.8.2021

Annexure No – 8

30

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0 एक्ट, अलीगढ़।

नोटिस
बनाम

श्री अनिल मिश्रा,
तृतीय श्रेणी कर्मचारी,
सिद्वार्थ नगर।

माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित क्रिमिनल अपील सं0–4438/02 सौदान सिंह आदि बनाम राज्य के निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–3 अलीगढ़ द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–1517/96 राज्य बनाम श्यौदान आदि अन्तर्गत धारा–302 भा0द0स0 थाना टप्पल जिला अलीगढ़ की पत्रावली तलब की गई है जो कि वर्तमान सहायक अभिलेखपाल सत्र की आख्या के अनुसार दिनांक 25–11–2002 को दाखिल दफ्तर होना पाई जाती है। किन्तु वर्तमान में उक्त पत्रावली अपने निर्धारित स्थान पर उपलब्ध नहीं है। लेखा विभाग की आख्या के अनुसार वर्ष 25–11–2002 में सहायक अभिलेखपाल सत्र के पद पर श्री लक्ष्मी नारायण को कार्यरत होना दर्शाया गया, जिसपर न्यायालय द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण से स्पष्टीकरण आहूत किया गया। श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त पत्रावली उनके द्वारा श्री अनिल मिश्रा को सौंप दी गई थी।

अतः उक्त के सन्दर्भ में आप न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त पत्रावली के सन्दर्भ में अपना स्पष्टीकरण दिनांक 18–02–2020 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8.2.20

जॉच अधिकारी/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
अलीगढ़।

Self Attested
10.8.2021

संलग्न - 3

Annexure No - 9

31

7-7-20

माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति
अलीगढ़ के आदेशानुसार पत्रावली
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं 4 को अंतरित
किसी स्टे को नहीं [illegible] जाये
दिनांक 10-7-20 पेश हो

[illegible signature]

Self Attested

[illegible signature]
18.0[illegible]

10/7/20 to 13/7/20 - [illegible]

14/7/20 - [illegible]

Annexure No - 10

32

17/2

Vivek Sangal,
H.J.S.

Chamber
District & Sessions Judge,
Aligarh.

No. 429 /I-Civil: PE: 36/19: Dated: March 02, 2021

Subject: Requirement of progress report in Preliminary Inquiry no. 36/2019, being conducted in the matter of lost/missing record of S.T. No. 1517/1996 State Vs. Saudan Singh & Oth., decided on 05-10-2002 by Sri A.A. Siddiqui, Addl. Distt. & Sess. Judge, Court No. 03, Aligarh.

Dear Sri Ojha,

On the above subject, I have to apprise that the Hon'ble Court vide letter no. CRL/2001-05/5950 dated 24.02.2021 of Section Officer, Criminal Appeal Section, Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad has directed to expedite the above enquiry and if the record is traced out, be sent immediately to the Hon'ble Court. Copy of Hon'ble Court's Order dated 23-02-2021 is enclosed herewith.

Therefore, it is requested that the progress report in the captioned enquiry be submitted for onward submission to the Hon'ble Court, within 07 days.

With best wishes,

Yours sincerely,

Encls: As above

02/03/2021
(Vivek Sangal)
District Judge,
Aligarh.

To:

Sri Nand Pratap Ojha, HJS,
Officer-in-charge (Record Room)/
Special Judge (POCSO), Aligarh.

Put up with record today

Self Attested
10.8.2021

श्लेग्नक-4

33

54/2

Annexure No - 11

Court No. - 48

Case :- CRIMINAL APPEAL No. - 4438 of 2002

Appellant :- Saudan Singh And Others
Respondent :- State of U.P.
Counsel for Appellant :- Rakesh Chandra Upadhyay,Gopal S. Chaturvedi
Counsel for Respondent :- Govt. Advocate,Rajesh K.S. Chaudhary,V.Singh

Hon'ble Munishwar Nath Bhandari,J.
Hon'ble Shamim Ahmed,J.

As per report of the court below, record of the Trial Court is missing and an enquiry has been constituted for the aforesaid.

The court below is directed to expedite the enquiry and if the record is traced out, be sent immediately to the High Court. The reason of missing of record would also be disclosed by the court below as otherwise it is to be considered as a serious lapse requiring action in the matter.

A copy of this order be sent to the court below for complaince.

In the meanwhile, the Additional Government Advocate is directed to ensure as to whether all the documents are available with the Public Prosecutor and in case it is available then to be directed to submit it to reconstitute the record.

Let this appeal be listed again on 15.03.2021 to see the outcome of the order.

Order Date :- 23.2.2021
Ashish Pd.

Sd/ Munishwar Nath Bhan
Sd/ Shamim Ahmed J

TRUE COPY
24.2.2021
Section Officer
Criminal Department
High Court Allahabad

Self Attested
18.3.2021

Annexure No -12

संलग्न - 10

(34)

17/1

प्रेषक,

श्री नन्द्र प्रताप ओझा,
प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार/
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

विषयः— पी०ई० नम्बर—36/2019 के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

आपके द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 429/I-Civil: PE: 36/19 दिनांकित मार्च 02, 2021 प्राप्त हुआ।

उपर्युक्त सन्दर्भित पी०ई० संख्या 36/19 की पत्रावली मंगाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में श्री अनिल मिश्रा, तत्कालीन ए०आर०के० सेशन का स्पष्टीकरण/बयान शेष है। श्री अनिल मिश्रा को बार—बार सूचना प्रेषित की गई, किन्तु वह उपस्थित नहीं आए। तत्पश्चात् श्री अनिल मिश्रा के सम्बन्ध में लेखा विभाग, जनपद न्यायालय अलीगढ़ से सूचना मांगे जाने पर लेखा लिपिक द्वारा सूचना दी गयी कि श्री अनिल मिश्रा का स्थानान्तरण जनपद न्यायालय सिद्धार्थ नगर हो गया है।

दिनांक 03.10.2020 को श्री अनिल मिश्रा को स्पष्टीकरण/बयान हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय जनपद न्यायालय अलीगढ़ के माध्यम से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, जनपद न्यायालय सिद्धार्थ नगर को पत्र मय नोटिस प्रेषित किए गए, किन्तु अभी तक श्री अनिल मिश्रा द्वारा न तो अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया और न ही वह उपस्थित आए हैं। दिनांक 26.02.2021 को श्री अनिल मिश्रा को नोटिस तामील कराए जाने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, जनपद न्यायालय सिद्धार्थ नगर को माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया गया है और उक्त पी०ई० में अग्रिम दिनांक 06.03.2021 नियत है।

श्री अनिल मिश्रा, तत्कालीन ए०आर०के० सेशन के उपस्थित आने पर उनका स्पष्टीकरण/बयान अंकित कर उपर्युक्त पी०ई० में अग्रिम कार्यवाही करते हुए अविलम्ब आख्या प्रेषित कर दी जाएगी।

सादर।

भवदीय,

(नन्द प्रताप ओझा)
प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार/
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

03.03.2021

03-3-21

Self Attested
18.05.2021

Annexure No-13

संलग्न-11

35

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, ALIGARH.

ORDER

Sri Nand Pratap Ojha, Inquiry Officer/Special Judge (POCSO), Aligarh be also informed to expedite the proceedings of pending Inquiry no.36/19 and to submit inquiry report till 10.03.2021

8/3/21

I/C District Judge,
Aligarh

Copy to:-

Sri Nand Pratap Ojha,
Enquiry officer/Spl. Judge
(POCSO Act)

Self attested
10.03.2021

Annexure- 14

(14) (15) (36)

प्रारम्भिक जांच संख्या 36/2018

06.03.2021

प्रारम्भिक जांच पत्रावली प्रस्तुत हुई। तृतीय श्रेणी कर्मचारी श्री अनिल मिश्रा को जरिए माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय के माध्यम से जनपद न्यायाधीश, सिद्धार्थ नगर को पत्र के साथ प्रेषित समन की तामीला के सम्बन्ध में कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है और न ही श्री अनिल मिश्रा की ओर से कोई सूचना प्राप्त हुई है।

तृतीय श्रेणी कर्मचारी श्री अनिल मिश्रा, वर्तमान तैनात जनपद न्यायालय सिद्धार्थ नगर को पुनः माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ के माध्यम से जनपद न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ पत्र प्रेषित किया जाए कि श्री अनिल मिश्रा को नोटिस तामील कराकर नियत दिनांक को जांच अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दें।

प्रशासनिक कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि पत्र की प्रति मय नोटिस माननीय जनपद न्यायाधीश सिद्धार्थ नगर को ई–मेल, फैक्स द्वारा भी प्रेषित कर टेलीफोन से सूचित करें, ताकि जांच कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जा सके।

तामीला के बावजूद श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी को जांच पत्रावली पर उपस्थित न आने पर मानते हुए कि उक्त जांच में आपको कुछ नहीं कहना है और जांच कार्यवाही पूर्ण कर आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ को प्रेषित कर दी जाएगी।

जांच पत्रावली दिनांक 16.03.2021 को प्रस्तुत हो।

06.03.2021

जांच अधिकारी, अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़

Self

Annexure No - 15 संलग्न -15

37

प्रारम्भिक जांच संख्या 36/2019

16.03.2021

प्रारम्भिक जांच पत्रावली प्रस्तुत हुई। उक्त जांच पत्रावली श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जिनके वर्तमान में जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर में नियुक्त होने की सूचना प्राप्त हुई। श्री अनिल मिश्रा पर जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर में नोटिस की तामीला हेतु नोटिस की प्रति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ के माध्यम से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सिद्धार्थनगर को अनुरोध–पत्र दिनांक 06.03.2021 के साथ संलग्न कर प्रेषित की गयी थी और प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ को नोटिस ई–मेल, फैक्स से व टेलीफोन द्वारा सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ द्वारा श्री अनिल मिश्रा पर नोटिस तामीला के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। श्री अनिल मिश्रा की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही वह स्वयं ही उपस्थित आए हैं।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ से मेरे द्वारा जांच अधिकारी के रूप में यह अनुमति मांगी गयी कि क्या मैं जांच अधिकारी स्वयं माननीय जनपद न्यायाधीश सिद्धार्थनगर से श्री अनिल मिश्रा पर नोटिस तामीला के सम्बन्ध में दूरभाष पर निवेदन कर लूँ? इस पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ द्वारा मना किया गया और यह कहा गया कि वह स्वयं इस सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सिद्धार्थनगर से वार्ता कर लेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील नम्बर–4438/2002 सौदान सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में आदेश दिनांक 23.02.21 पारित करते हुए यह निर्देशित किया गया कि यदि अभिलेख तलाशने पर उपलब्ध हो जाए तो अविलम्ब माननीय उच्च न्यायालय भेज दिया जाए एवं जांच की कार्यवाही शीघ्र निपटायी जाये। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, अलीगढ़ द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 02.03.21 के क्रम में मेरे द्वारा अभिलेखपाल, अभिलेखागार को मौखिक रूप से वांछित पत्रावली को तलाशने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु अभी तक उक्त वांछित पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति में आर0के0 अभिलेखागार एवं आर0के0 (सैशन) को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वांछित सत्र परीक्षण संख्या 1517/96 राज्य बनाम सौदान सिंह निर्णीत दिनांक 05.10.2002 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3, अलीगढ़ की पत्रावली/अभिलेख को अविलम्ब तलाश करें एवं नियत दिनांक 23.03.2021 से पूर्व आख्या प्रस्तुत करें।

अभिलेखागार के प्रभारी होने के नाते अभिलेखागार में तलाशने के बावजूद भी यथोचित स्थान पर पत्रावलियां न मिलने एवं पत्रावलियां गायब होने के कारण अभिलेखागार की पत्रावलियों का भौतिक सत्यापन कराए जाने के लिए मेरे द्वारा भी जनपद न्यायाधीश अलीगढ़ को पत्र दिनांकित 03.03.2021 प्रेषित किया गया था। पत्र दिनांकित 03.03.2021 की प्रति जांच पत्रावली में रखी जाये।

श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर को आदेश दिनांक 06.03.2021 के आलोक में प्रेषित नोटिस की तामीला के सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ द्वारा कोई आख्या प्रेषित न किए जाने और श्री अनिल मिश्रा द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने एवं न ही स्वयं उपस्थित आने के कारण श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर को पुनः नोटिस पूर्व आदेशानुसार जारी हो, तामीला हेतु फैक्स व ई–मेल भी किया जाए।

नोटिस की एक प्रति फैक्स व ई–मेल से करने हेतु अनुरोध–पत्र सहित माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ के माध्यम से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सिद्धार्थनगर को प्रेषित किया जाय। श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर पर नोटिस की तामीला विशेष वाहक द्वारा करायी जाये। प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ द्वारा नियत दिनांक से पूर्व आख्या प्रेषित की जाए।

जांच पत्रावली दिनांक 23.03.2021 को प्रस्तुत हो।

आदेश की एक प्रति प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ को विशेष वाहक द्वारा तामीला कराने एवं तामीला आख्या प्रेषित किए जाने हेतु एवं आर0के0 अभिलेखपाल एवं आर0के0 (सैशन) को वांछित पत्रावली तलाश कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित की जाए।

18/3/21

Self Attested
18.8.2024

Recd
18-3-21
12:40 PM

16.03.2021

जांच अधिकारी/अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़। सत्र न्यायाधीश
/स्पेशल जज (पोक्सो)
अलीगढ़

Annexure No - 16

नन्द प्रताप ओझा
जांच अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार/
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
सिद्धार्थ नगर।

(38)

द्वारा— माननीय जनपद न्यायाधीश,
अलीगढ़।

विषय— प्रारम्भिक जांच संख्या 36/2019 में श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी लिपिक जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर (स्थानान्तरित जनपद न्यायालय अलीगढ़) को प्रेषित नोटिस की तामिला के सम्बन्ध में,

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निवेदन करना है कि प्रारम्भिक जांच संख्या 36/19 विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मांगपत्र संख्या–53167/23.10.19 द्वारा क्रिमिनल अपील नम्बर 4438/02 श्योदान सिंह आदि बनाम राज्य के निस्तारण हेतु सत्र परीक्षण संख्या 1517/96 न्यायालय ए.एस.जे. कोर्ट नम्बर–3, अलीगढ़ निर्णय दिनांक 05.10.2002, थाना टप्पल, जिला अलीगढ़ की पत्रावली तलब किए जाने तत्कालीन ए0आर0के0 सेशन द्वारा दिनांक 26.11.19 को इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गई कि न्यायालय ए.एस.जे., कोर्ट नं.–3 एस.टी.नम्बर–1517 राज्य प्रति श्योदान सिंह, धारा 302 आई.पी.सी. थाना टप्पल, अलीगढ़ निर्णय दिनांक 5/15.10.02 की पत्रावली देखने गोशवारा दिनांक 25.11.02 दाखिल दफ्तर होना पायी जाती है, जो काफी गहनता व सघनता से तलाश करने पर अपने निर्धारित मौके एवं अन्य सम्भावित मौके पर नहीं मिल पा रही है, जिसके उपरान्त माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 10.12.2019 द्वारा उपर्युक्त जांच प्रारम्भ हुई है।

तत्कालीन ए.आर.के., सेशन श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा दिनांक 29.01.20 को इस आशय का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया कि सत्र परीक्षण संख्या–1517/96 राज्य प्रति श्योदान आदि, अन्तर्गत धारा 302 भा.द.सं., थाना टप्पल से सम्बन्धित गोशवारा देखने से ज्ञात हुआ कि उक्त पत्रावली उनके द्वारा दिनांक 25.11.02 को शामिल करके यथास्थान मौके पर अभिलेखागार में रख दी थी तथा उनका स्थानान्तरण होने पर अभिलेखपाल सत्र का कार्यभार श्री अनिल मिश्रा को सौंप दिया था। उपर्युक्त पत्रावली के सम्बन्ध में आप श्री अनिल मिश्रा, तत्कालीन अभिलेखपाल सत्र से जानकारी करने की कृपा की जाए। श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ गोशवारा की प्रति भी संलग्न की गई है जिसमें उपर्युक्त वांछित पत्रावली वर्णित है।

तत्कालीन जांच अधिकारी द्वारा श्री अनिल मिश्रा लिपिक का स्थानान्तरण जनपद अलीगढ़ से जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर हो जाने पर जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर में भी श्री अनिल मिश्रा को नोटिस प्रेषित की गई,किन्तु उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी लिपिक, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर को पत्र के साथ संलग्न नोटिस की तामिला कराने और नियत दिनांक 23.03.2021 तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

आख्या श्रीमान जी की सेवा में ससम्मान प्रेषित।

भवदीय,

(नन्द प्रताप ओझा)
जांच अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार/
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

16.03.2021

संलग्नक–उपर्युक्तानुसार।

Self Attested
18.8.21

Annexure No - 17

सं 15/3

23 (39)

जांच अधिकारी/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट) अलीगढ़।

नोटिस

बनाम

श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी लिपिक,
जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर।

मेरे समक्ष प्रारम्भिक जांच संख्या 36/2019 विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मांगपत्र संख्या–53167/23.10.19 द्वारा क्रिमिनल अपील नम्बर 4438/02 श्यौदान सिंह आदि बनाम राज्य के निस्तारण हेतु सत्र परीक्षण संख्या 1517/96 न्यायालय ए.एस.जे., कोर्ट नम्बर–3, अलीगढ़ निर्णय दिनांक 05.10.2002, थाना टप्पल, जिला अलीगढ़ की पत्रावली तलब किए जाने तत्कालीन ए0आर0के0 सेशन द्वारा दिनांक 26.11.19 को इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गई कि न्यायालय ए.एस.जे., कोर्ट नं.–3 एस.टी.नम्बर–1517 राज्य प्रति श्यौदान सिंह, धारा 302 आई.पी.सी., थाना टप्पल, अलीगढ़ निर्णय दिनांक 5/15.10.02 की पत्रावली देखने गोशवारा दिनांक 25.11.02 दाखिल दफ्तर होना पायी जाती है, जो काफी गहनता व सघनता से तलाश करने पर अपने निर्धारित मौके एवं अन्य सम्भावित मौके पर नहीं मिल पा रही है, जिसके उपरान्त माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 10.12.2019 द्वारा उपर्युक्त जांच प्रारम्भ हुई है।

तत्कालीन ए.आर.के., सेशन श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा दिनांक 29.01.20 को इस आशय का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया कि सत्र परीक्षण संख्या–1517/96 राज्य प्रति श्यौदान आदि, अन्तर्गत धारा 302 भा.द.सं., थाना टप्पल से सम्बन्धित गोशवारा देखने से ज्ञात हुआ कि उक्त पत्रावली उनके द्वारा दिनांक 25.11.02 को शामिला करके यथास्थान मौके पर अभिलेखागार में रख दी थी तथा उनका स्थानान्तरण होने पर अभिलेखपाल सत्र का कार्यभार श्री अनिल मिश्रा को सोंप दिया था। उपर्युक्त पत्रावली के सम्बन्ध में आप श्री अनिल मिश्रा, तत्कालीन अभिलेखपाल सत्र से जानकारी करने की कृपा की जाए। श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ गोशवारा की प्रति भी संलग्न की गई है, जिसमें उपर्युक्त वांछित पत्रावली वर्णित है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नियत दिनांक 23.03.2021 को उपर्युक्त वांछित पत्रावली के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा नियत दिनांक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और और उक्त प्रारम्भिक जांच आख्या आपके विरूद्ध माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित कर दी जाएगी।

16.03.2021

जांच अधिकारी/अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश
/स्पेशल जज (पोक्सो)
अलीगढ़

Self Attested
18.8.2021

Annexure No-18

संलग्न-15(6)

40

प्रेषक,

नन्द प्रताप ओझा,
जांच अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार/
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
अलीगढ़।

विषय :– प्रगति आख्या प्रारम्भिक जांच संख्या 36/2019 के सम्बन्ध में,

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि जांच पत्रावली श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जिनके वर्तमान में जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर में नियुक्त होने की सूचना प्राप्त हुई। श्री अनिल मिश्रा पर जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर में नोटिस की तामीला हेतु नोटिस की प्रति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ के माध्यम से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सिद्धार्थनगर को अनुरोध–पत्र दिनांक 06.03.2021 के साथ संलग्न कर प्रेषित की गयी थी और प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ को नोटिस ई–मेल, फैक्स से व टेलीफोन द्वारा सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था,किन्तु प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ द्वारा श्री अनिल मिश्रा पर नोटिस तामीला के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। श्री अनिल मिश्रा की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही वह स्वयं ही उपस्थित आए।

श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर को आदेश दिनांक 06.03.2021 के आलोक में प्रेषित नोटिस की तामीला के सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ द्वारा कोई आख्या प्रेषित न किए जाने और श्री अनिल मिश्रा द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने एवं न ही स्वयं उपस्थित आने के कारण जांच पत्रावली में अग्रिम कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ से मेरे द्वारा जांच अधिकारी के रूप में यह अनुमति मांगी गयी कि क्या मैं जांच अधिकारी स्वयं माननीय जनपद न्यायाधीश सिद्धार्थनगर से श्री अनिल मिश्रा पर नोटिस तामीला के सम्बन्ध में दूरभाष पर निवेदन कर लूँ? इस पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ द्वारा मना किया गया और यह कहा गया कि वह स्वयं इस सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सिद्धार्थनगर से वार्ता कर लेंगे।

अभिलेखागार के प्रभारी होने के नाते अभिलेखागार में तलाशने के बावजूद भी यथोचित स्थान पर पत्रावलियां न मिलने एवं पत्रावलियां गायब होने के कारण अभिलेखागार की पत्रावलियों का भौतिक सत्यापन कराए जाने के लिए मेरे द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश अलीगढ़ को पत्र दिनांकित 03.03.2021 प्रेषित किया गया और प्रत्येक चतुर्थ शनिवार के दिन अभिलेखागार में अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने का आग्रह किया गया, ताकि अभिलेखागार में दाखिल पत्रावलियों का भौतिक सत्यापन किया जा सके व पत्रावलियों की तलाश की जा सके।

प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ द्वारा श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थ नगर पर अभी तक उक्त जांच के नोटिस की तामीला न कराए जाने के कारण उक्त जांच पत्रावली लम्बित है। श्री अनिल मिश्रा के द्वारा उक्त जांच पत्रावली पर नोटिस की तामीला होने के उपरान्त व उनके द्वारा स्पष्टीकरण देने अथवा न देने के उपरान्त ही जांच कार्यवाही में कोई आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ को प्रेषित किया जाना समीचीन होगा। जांच पत्रावली में अग्रिम दिनांक 23.03.2021 नियत है।

जांच की प्रगति आख्या अवलोकनार्थ प्रेषित है।

18/3/2021
5:15 PM

Self Attested
18.3.2021

भवदीय,

18.03.2021

(नन्द प्रताप ओझा)
जांच अधिकारी/अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

Annexure No - 19

51

नन्द प्रताप ओझा,
जांच अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार/
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
अलीगढ़।

विषय :– प्रगति आख्या प्रारम्भिक जांच संख्या 36/2019 के सम्बन्ध में,

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि जांच पत्रावली श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जिनके वर्तमान में जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर में नियुक्त होने की सूचना प्राप्त हुई। श्री अनिल मिश्रा पर जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर में नोटिस की तामीला हेतु नोटिस की प्रति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ के माध्यम से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सिद्धार्थनगर को अनुरोध–पत्र दिनांक 06.03.2021 के साथ संलग्न कर प्रेषित की गयी थी और प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ को नोटिस ई–मेल, फैक्स से व टेलीफोन द्वारा सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था,किन्तु प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ द्वारा श्री अनिल मिश्रा पर नोटिस तामीला के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। श्री अनिल मिश्रा की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही वह स्वयं ही उपस्थित आए।

श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर को आदेश दिनांक 06.03.2021 के आलोक में प्रेषित नोटिस की तामीला के सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ द्वारा कोई आख्या प्रेषित न किए जाने और श्री अनिल मिश्रा द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने एवं न ही स्वयं उपस्थित आने के कारण जांच पत्रावली में अग्रिम कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ से मेरे द्वारा जांच अधिकारी के रूप में यह अनुमति मांगी गयी कि क्या मैं जांच अधिकारी स्वयं माननीय जनपद न्यायाधीश सिद्धार्थनगर से श्री अनिल मिश्रा पर नोटिस तामीला के सम्बन्ध में दूरभाष पर निवेदन कर लूँ? इस पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ द्वारा मना किया गया और यह कहा गया कि वह स्वयं इस सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सिद्धार्थनगर से वार्ता कर लेंगे।

अभिलेखागार के प्रभारी होने के नाते अभिलेखागार में तलाशने के बावजूद भी यथोचित स्थान पर पत्रावलियां न मिलने एवं पत्रावलियां गायब होने के कारण अभिलेखागार की पत्रावलियों का भौतिक सत्यापन कराए जाने के लिए मेरे द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश अलीगढ़ को पत्र दिनांकित 03.03.2021 प्रेषित किया गया और प्रत्येक चतुर्थ शनिवार के दिन अभिलेखागार में अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने का आग्रह किया गया, ताकि अभिलेखागार में दाखिल पत्रावलियों का भौतिक सत्यापन किया जा सके व पत्रावलियों की तलाश की जा सके।

प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ द्वारा श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थ नगर पर अभी तक उक्त जांच के नोटिस की तामीला न कराए जाने के कारण उक्त जांच पत्रावली लम्बित है। श्री अनिल मिश्रा के द्वारा उक्त जांच पत्रावली पर नोटिस की तामीला होने के उपरान्त व उनके द्वारा स्पष्टीकरण देने अथवा न देने के उपरान्त ही जांच कार्यवाही में कोई आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ को प्रेषित किया जाना समीचीन होगा। जांच पत्रावली में अग्रिम दिनांक 23.03.2021 नियत है।

जांच की प्रगति आख्या अवलोकनार्थ प्रेषित है।

Seen Attach

18.3.2021

18.03.2021

भवदीय

(नन्द प्रताप ओझा)
जांच अधिकारी/अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

Annexure No - 20 संलग्न - 21

(42)

To:

The Hon'ble District Judge,
Aligarh.

Subject: Report with regard to transmission of notices to Sri Anil Mishra, the then ARK (Sessions), presently posted in Siddhartha Nagar Judgeship.

Respected Sir,

In compliance with your kind order dated 18.03.2021, on the application of Sri Nand Pratap Ojha, Inquiry Officer/ADJ Special Judge (POCSO), thereby calling for report with regard to transmission of notices to Sri Anil Mishra, the then ARK (Sessions), presently posted in Siddhartha Nagar Judgeship; it is submitted that notices, to service upon captioned official, received alongwith letters dated 06.03.2021 and 16.03.2021 of Sri Nand Pratap Ojha, Inquiry Officer/ADJ Special Judge (POCSO) were immediately processed, details whereof are as follows;

Notice Dated	Notice	Mode of Process	Date of processing from Admin. Office
06.03.2021	Notice received on **08.03.2021 at 04:40 PM**	E-mail	08.03.2021 at 05:42 PM (on the **same day** of receipt) (Annexure-A)
		Nazarat Section	09-03-2021
16.03. 2021	Notice received on **18.03.2021 at 12:40 PM**	E-mail	18.03.2021 at 05:31 PM (on the same day of receipt) (Annexure-B)
		Nazarat Section	**Same Day**

Report is kindly submitted for kind perusal.
With regards,

Dated: March 18, 2021

(Upendra Kr. Pachauri)
I/c Admin. Officer,
Admin. Office, Aligarh.

Self Attested,
10.8.2021

Scan. Inform Enquiry officer.
26.03.2021

Sri Nand Pratap Ojha
Spl. Judge (POCSO)/
Inquiry officer

संलग्नक-7

Annexure No-21

43

प्रेषक,

नन्द प्रताप ओझा,
जांच अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार/
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
अलीगढ़।

विषय :– श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर पर जां. की नोटिस की तामीला विशेष वाहक द्वारा कराए जाने के सम्बन्ध में,

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि जांच पत्रावली श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर पर नोटिस की तामीला नहीं हो पा रही है, जबकि आपके माध्यम से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सिद्धार्थनगर को श्री अनिल मिश्रा पर नोटिस की तामीला हेतु अनुरोध–पत्र दिनांक 03.10.20, दिनांक 26.02021, दिनांक 06.03.2021, दिनांक 16.03.2021 के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा चुके हैं तथा प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ को नोटिस ई–मेल, फैक्स से व टेलीफोन द्वारा सूचना प्रेषित करने एवं विशेष वाहक द्वारा तामील कराने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ द्वारा श्री अनिल मिश्रा पर नोटिस तामीला के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। श्री अनिल मिश्रा द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने एवं न ही स्वयं उपस्थित आने के कारण जांच पत्रावली में अग्रिम कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थ नगर पर जांच की नोटिस की तामीला विशेष वाहक नियुक्त कर कराने की कृपा करें, ताकि श्री अनिल मिश्रा उपर्युक्त पर नोटिस की तामीला हो सके और जांच पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

जांच पत्रावली में अग्रिम दिनांक 31.03.2021 नियत है।

भवदीय,

(नन्द प्रताप ओझा)
जांच अधिकारी/अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

23.03.2021

Self Attested
10.8.2021

Annexure No-22

संलग्न-19/1

(44)

प्रारम्भिक जांच संख्या 36/2019

03.04.2021

प्रारम्भिक जांच पत्रावली प्रस्तुत हुई। उक्त जांच पत्रावली का अवलोकन किया गया।

श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर उपस्थित नहीं आए और न हीं उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण ही प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर पर दिनांक 06.03.2021, दिनांक 16.03.2021 को नोटिस तामीला माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सिद्धार्थनगर द्वारा जरिए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ प्रेषित की गई थी, जिसके सन्दर्भ में प्रभारी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ को आख्या दिनांकित 18.03.2021 इस आशय की प्रेषित की गई कि जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांकित 06.03.2021 की प्रोसेसिंग दिनांक 08.03.2021 समय 05:42 पी.एम. पर ई-मेल द्वारा एवं दिनांक 09.03.2021 को नजारत द्वारा और इसी प्रकार प्रेषित नोटिस 16.03.2021 की प्रोसेसिंग दिनांक 18.03.2021 समय 05:31 पी.एम. पर ई-मेल द्वारा एवं दिनांक 18.03.2021 को नजारत द्वारा कर दी गयी है, परन्तु प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ द्वारा श्री अनिल मिश्रा को प्रेषित नोटिस की तामीला होने अथवा न होने के सम्बन्ध में कोई आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

प्रभारी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश अलीगढ़ को प्रेषित पत्र दिनांकित 18.03.2021 संकलित जांच पत्रावली हो।

श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी,जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर पर नोटिस दिनांकित 23.03.2021 तामीला हेतु जरिए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सिद्धार्थनगर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ से अग्रसारित कराकर प्रेषित की गई थी, जिसके सन्दर्भ में प्रभारी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ द्वारा कोई आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

श्री अनित मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर पर नोटिस की तामील माननीय जनपद न्यायाधीश सिद्धार्थनगर के माध्यम से कराने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ द्वारा अनुरोध-पत्र बार-बार अग्रसारित कराते हुए मय नोटिस प्रेषित किए जाने के बावजूद भी प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ द्वारा अभी तक श्री अनिल मिश्रा उपर्युक्त पर तामीला नहीं करायी जा सकी है, जिसके कारण उक्त जांच की कार्यवाही विलम्बित हो रही है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप उक्त जांच का शीघ्रता से निस्तारण सम्भव नहीं हो पा रहा है श्री अनिल मिश्रा उपर्युक्त पर नोटिस की तामीला के उपरान्त ही जांच पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही कराते हुए जांच का निस्तारण किया जा सकता है। यह तथ्य चिन्ता का विषय है कि प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ द्वारा दीवानी न्यायालय, जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत् तृतीय श्रेणी कर्मचारी श्री अनिल मिश्रा पर नोटिस की तामीला कराने में शिथिलता बरती जा रही है।

अतः श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जिनके वर्तमान में जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर पर नोटिस की तामील हेतु पूर्वादेश के अनुसार नोटिस जारी हो और श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थ नगर पर नोटिंस की तामीला हेतु पूर्वादेश अनुसार नोटिस ई-मेल, फैक्स व टेलीफोन द्वारा सूचना प्रेषित करने एवं विशेष वाहक द्वारा तामील कराने हेतु आदेश की एक प्रति प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ को प्राप्त करायी जाए। नियत दिनांक तक प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय अलीगढ़ तामीला के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करें।

जांच पत्रावली दिनांक 08.04.2021 को प्रस्तुत हो।

जांच की प्रगति आख्या आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाए।

Self Attested

03.04.2021

जांच अधिकारी/अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

Annexure No-23

17

45

प्रेषक,

नन्द प्रताप ओझा,
जांच अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार/
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
अलीगढ़।

विषय :- प्रगति आख्या प्रारम्भिक जांच संख्या 36/2019 के सम्बन्ध में,

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर पर दिनांक 06.03.2021, दिनांक 16.03.2021 को नोटिस तामीला माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सिद्धार्थनगर द्वारा जरिए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ प्रेषित की गई थी, जिसके सन्दर्भ में प्रभारी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ को आख्या दिनांकित 18.03.2021 इस आशय की प्रेषित की गई कि जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांकित 06.03.2021 की प्रोसेसिंग दिनांक 08.03.2021 समय 05:42 पी.एम. पर ई-मेल द्वारा एवं दिनांक 09.03.2021 को नजारत द्वारा और इसी प्रकार प्रेषित नोटिस 16.03.2021 की प्रोसेसिंग दिनांक 18.03.2021 समय 05:31 पी.एम. पर ई-मेल द्वारा एवं दिनांक 18.03.2021 को नजारत द्वारा कर दी गयी है, परन्तु प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ द्वारा श्री अनिल मिश्रा को प्रेषित नोटिस की तामीला होने अथवा न होने के सम्बन्ध में कोई आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी,जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर पर नोटिस दिनांकित 23.03.2021 तामीला हेतु जरिए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सिद्धार्थनगर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अलीगढ़ से अग्रसारित कराकर प्रेषित की गई थी, जिसके सन्दर्भ में प्रभारी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ द्वारा कोई आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। यह तथ्य चिन्ता का विषय है कि प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ द्वारा दीवानी न्यायालय, जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत् तृतीय श्रेणी कर्मचारी श्री अनिल मिश्रा पर नोटिस की तामीला कराने में शिथिलता बरती जा रही है।

श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर को आदेश दिनांक 23.03.2021 के आलोक में प्रेषित नोटिस की तामीला के सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ द्वारा कोई आख्या प्रेषित न किए जाने और श्री अनिल मिश्रा द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने एवं न ही स्वयं उपस्थित आने के कारण जांच पत्रावली में अग्रिम कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय अलीगढ़ द्वारा श्री अनिल मिश्रा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय सिद्धार्थ नगर पर अभी तक उक्त जांच के नोटिस की तामीला नहीं करायी जा सकी है और न ही श्री अनिल मिश्रा उपर्युक्त पर नोटिस की तामीला के सम्बन्ध में कोई आख्या ही प्रस्तुत की गयी है। उपर्युक्त कारण से उक्त जांच पत्रावली मे विलम्ब हो रहा है।

जांच पत्रावली में अग्रिम दिनांक 08.04.2021 नियत है।
जांच की प्रगति आख्या अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

(नन्द प्रताप ओझा)
जांच अधिकारी/अपर सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायाधीश(पोस्को एक्ट)
जनपद न्यायालय अलीगढ़।

03.04.2021

संलग्नक:- आदेश-पत्र दिनांकित 03.04.2021 की प्रति।

प्रारम्भिक जांच संख्याः 36 / 2019

46

आदेश

श्री नन्द प्रताप ओझा, जांच अधिकारी / प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अलीगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 03–04–2021 अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया गया, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, अलीगढ़ को सम्बन्धित जांच पत्रावली के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

तदोपरान्त प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, अलीगढ़ द्वारा उक्त पत्र से सम्बन्धित प्रारम्भिक जांच पत्रावली 36 / 2019 अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रारम्भिक जांच पत्रावली 36 / 2019 का अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन क्रिमिनल अपील संख्या 4438 / 2002 में सत्र परिक्षण संख्या 1517 / 1996 अन्तर्गत धारा 147,148,323 / 149,302 / 149–राज्य बनाम सौदान सिंह की पत्रावली तलब की गयी थी, जिसके अनुपालन में श्री विमल शर्मा, अभिलेखपाल सत्र, अलीगढ़ द्वारा प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार के माध्यम से दिनांक 26.11.2019 को मेरे पूर्वाधिकारी को आख्या प्रेषित की गयी थी, जिस पर मेरे पूर्वाधिकारी के आदेश दिनांक 10–12–2019 के द्वारा तथ्यात्मक जांच संस्थित कर तत्कालीन प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार, जिला न्यायालय, अलीगढ़ (सम्प्रति स्थानान्तरित) को सौंपी गयी थी।

वर्तमान में प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार श्री नन्द प्रताप ओझा, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो–एक्ट), अलीगढ़ इस जनपद में द्वितीय वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं, जिनके यहां उक्त प्रारम्भिक जांच लम्बित है। श्री नन्द प्रताप ओझा, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो–एक्ट), अलीगढ़ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी होने के कारण उक्त तथ्यात्मक जांच कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी से कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुये प्रारम्भिक जांच संख्या 36 / 2019 को प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार से वापस लेकर श्रीमती आसिफा राना, सिविल जज (व०प्र०), अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ सौंपी जाती है कि वे सुंगत नियमानुसार जाँच कार्यवाही सम्पादित कर जाँच आख्या 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें।

श्री नन्द प्रताप ओझा, जांच अधिकारी / प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अलीगढ़ उक्त सम्पूर्ण जांच पत्रावली को कार्यालय सिविल जज (व०प्र०), अलीगढ़ को तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार व सिविल जज (व०प्र०), अलीगढ़ को तत्काल प्रेषित करें।

दिनांक 07.04.2021

07/04/2021

(विवेक संगल),
जिला न्यायाधीश,
अलीगढ़।

Copy to:
1. O/c R.R/Spl. Judge (Pocso)

ACJM-01

Recd Copy

Self

18.8.2021

संलग्नक-1

Annexure No - 25

(47)

प्रेषक,

नन्द प्रताप ओझा,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय जिला जज,
अलीगढ़।

विषय :- वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के विरूद्ध माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिवेदन करने हेतु आवश्यक प्रपत्र प्रदान कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि श्रीमान जी द्वारा मेरी वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के रिमॉर्क कॉलम में पी0ई0 नम्बर-36/2019 के सम्बन्ध में टिप्पणी अंकित की गयी कि केडिट एक्च्यूअल में, यदि कोई वर्क ट्रान्सफर या विदड्रा किया गया है, तो उस वर्क का कोई केडिट नहीं किया जा सकता है, जबकि मेरे द्वारा उपर्युक्त पी0ई0 नम्बर-36/2019 के सम्बन्ध में एक्च्यूअल वर्कडन यूनिट 1,496.87 में से 16 यूनिट घटाकर एक्च्यूअल वर्कडन 1,480.87 यूनिट दर्शित किया गया है। श्रीमान जी द्वारा मेरी वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में उल्लिखित उपर्युक्त टिप्पणी के सम्बन्ध में माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रतिवेदन करने के लिए निम्नलिखित सूचना/प्रपत्रों की प्रतियों की आवश्यकता है-:

1. दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक जजशिप अलीगढ़ के जिन न्यायिक अधिकारियों के एक्च्यूअल वर्कडन में से (इन्क्यारी लम्बित रहने के कारण) यूनिट एक्च्यूअल वर्कडन में से काटी गयीं, उन न्यायिक अधिकारीगण के नाम, इन्क्यारी लम्बित रहने की अवधि एवं काटी गयी यूनिटों की संख्या।

2. पी0ई0 नम्बर-36/2019 के अपचारी कर्मचारी श्री अनिल कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति की तिथि।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि मुझे दो कार्य दिवस के भीतर उपर्युक्त वांछित सूचना/प्रपत्र उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि मैं वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में अंकित टिप्पणी के विरूद्ध माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रतिवेदन कर सकूं।

सादर।

भवदीय,

दिनांक :- 18.08.2021

(नन्द प्रताप ओझा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
अलीगढ़ J.O.Code No. UP 2167

सलंग्न -1/1

Annexure No - 26

(48)

न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय SP Posco

(क्रमांक - 469)

सन - 2020

ST No - 2950/20

सरकार बनाम लोकेन्द्र व अन्य

अन्तर्गत धारा 323/504/506 IPC

थाना टप्पल अलीगढ़

जमानत प्रार्थना पत्र जिनमानिब हरिप्रसाद पुत्र श्री धरमराज निवासी-ग्राम अहरू थाना टप्पल अलीगढ़

प्रार्थी / अभि० [illegible] (विचाराधीन अभियुक्त) - 58 वर्ष

1) यह कि प्रार्थी / अभियुक्त उपरोक्त पूर्ण रूप से निर्दोष है।

2) यह कि प्रार्थी / अभियुक्त को उपरोक्त वाद में मुकदमा [illegible] तथ्यों के आधार पर झूठा फँसाया गया है।

3) यह कि प्रार्थी / अभियुक्त पर उपरोक्त धारा 323/504/506 IPC में तलब किया गया है। तथा अन्य सहयोगी वीरपाल व योगेश की जमानत दिनांक 23/3/021 को हो चुकी है।

4) यह कि प्रार्थी / अभियुक्त उपरोक्त वाद में अपनी [illegible] जमानत देने को तैयार है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी / अभियुक्त हरिप्रसाद को श्रीमान न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में [illegible] जमानत [illegible] श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

Computer directed for registration

Copy to:

Spl. Judge / (POCSO Act)

06/04/21

दिनांक 06/04/021

प्रार्थी / अभियुक्त

हरिप्रसाद

Put up before me at 03:50pm by the Ld. Counsel for applicant himself. ~~Computer~~ System Officer was called who apprised that it was presented for registration beyond time. Concerned P.O. be directed to explain how this appl^n came into the hands of Counsel for applicant after having been endorsed by the P.O.

06/04/21 04:00pm

DISTRICT JUDGE ALIGARH

Yogesh Kumar Tiwari

Advocate

Civil Court, Aligarh

Mob.-800...

Self Attested

18.8.2021

Annexure. No -27

(49)

न्यायालय श्रीमान् जिला जज/न्यायाधीश महोदय
अलीगढ़।

उ०प्र० राज्य ———— बनाम
राज्य
द्वारा लव कुमार
धारा 323/504/506 I.P.C.
P.S. थाना (अलीगढ़)

श्रीमान जी,

निवेदन है कि आवेदक हरप्रसाद ने दिनांक 06.04.2021 को न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज/कोर्ट नं० 08 अलीगढ़ (पाक्सो) के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। उसका जमानत प्रार्थना पत्र कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा न लेने पर श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) ... कम्प्यूटर में दर्ज करके ... किया गया। जो कार्यालय से श्रीमान जी के यहाँ प्रस्तुत हुई थी परन्तु उस पर कोई आदेश हुये पता नहीं चला। आवेदक अभियुक्त पुनः कम्प्यूटर सिस्टम से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 08 (पाक्सो) ... ने प्रार्थना पत्र में आदेश नहीं किये रहे हैं।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारण करने के लिये न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) कोर्ट नं० 08 को आदेशित करने की कृपा करें।

दि० 07.04.2021

K01 –
7-4-2021

The concerned Presiding Officer is directed to dispose off the bail appl^n in accordance with law, if any such bail application has been filed today afresh by the applicant.
07.04.2021

True Copy
Session Clerk
Spt. Judge (POCSO), Aligarh

Annexure No - 28

50

न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) कोर्ट सं0– 8, अलीगढ़।

प्रार्थना पत्र सं0– सन 2021

योगेश कुमार तिवारी एड़वोकेट, अलीगढ़। .... वादी

बनाम

बाबू श्री बी0आर0 अटल कम्प्यूटर विभाग, अलीगढ़। .... विपक्षी

सम्बन्धित राज्य बनाम लव कुमार मु0अ0सं0–459/20 अं0धा0–323,504,506 आई0पी0सी0 एस0टी0नं0–2950/20 , थाना जवॉ, अलीगढ़।

श्रीमान जी,

निवेदन निम्नलिखित है:–

1– यह कि मु0अ0सं0– 459/20 थाना जवॉ, में दिनांक–06–04–2021 को प्रार्थी/अभियुक्ता ने अभियुवत हरप्रसाद को न्यायालय में आत्मसर्मपण किया था जिसका जमानत प्रार्थना पत्र मुझ अभियुक्ता ने न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

2– यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को श्रीमान जी द्वारा दिनांक–06–04–2021 को ही कम्प्यूटर विभाग में तुरन्त दर्ज करके वापस न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश किया गया था।

3– यह कि कम्प्यूटर विभाग के बाबू श्री बी0आर0 अटल द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करके 12 बजे का वहाना करके प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभियुक्त हरप्रसाद के जमानत प्रार्थना पत्र को कम्प्यूटर में दर्ज नहीं किया और काफी देर बाद उसे श्रीमान जिला न्यायाधीश , अलीगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया क्योंकि प्रार्थी के 100/– रुपये मॉगने पर नहीं दिये थे जिसे श्रीमान जिला न्यायाधीश ने अपने पास ही रख लिया।

5– यह कि श्रीमान जी द्वारा आदेश करने के बाद भी अभियुक्त हरप्रसाद के जमानत प्रार्थना पत्र को कम्प्यूटर विभाग में दर्ज नहीं करने से प्रार्थी का अभियुक्त हरप्रसाद जमानती

Court, Aligarh
8309605201

अपराध होते हुये भी जेल में दो दिन निरूद्ध अवैध रूप से रहा जबकि अभियुक्त हरप्रसाद जमानती अपराध में वॉछित होने के कारण उसी दिन जमानत पर छूटने का अधिकारी था लेकिन प्रार्थी/अभि0 को जमानत पर रिहा न करके उसको विधि की दृष्टि में गलती करते हुये जिला कारागार में निरूद्ध रखा गया जोकि मानवाधिकारों का हनन है।

6— यह कि दूसरे दिन प्रार्थी ने पुनः जमानत प्रार्थना पत्र कम्प्यूटर विभाग में प्रस्तुत किया और श्रीमान जिला न्यायाधीश को पुनः प्रार्थना पत्र दिया तब प्रार्थी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हो सकी क्योंकि पूर्व में दिनांक—06—04—2021 का जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला न्यायाधीश के न्यायालय/कार्यालय में ही था जोकि श्रीमान जी के न्यायालय में नहीं भेजा गया।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि कम्प्यूटर विभाग के बी0आर0अटल बाबू का न्यायालय में आदेश का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही किये जाने की कृपा की जावे। श्रीमान जी की महान कृपा होगी।

दिनांक— 08.04.2021

प्रार्थी

(signature)

योगेश कुमार तिवारी, एड़वोकेट,

सिविल कोर्ट, अलीगढ़।

Self Attested

18.8.2021

Yogesh Kumar Tiwari
Civil Court, Aligarh
Mob.-8909805201

Annexure No - 29

52

प्रेषक,

नन्द प्रताप ओझा,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय जिला जंज,
अलीगढ़।

विषय :- माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोविड–19 के बचाव के सम्बन्ध में,

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्रीमान जी से निवेदन करना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या 815/इन्फ्रा सेलः इलाहाबाद, दिनांक 16 अक्टूबर 2020 प्रेषित कर जनपद न्यायालय स्थित न्यायालयों के डायस को शेष न्यायालय कक्ष से विभाजित करते हुए कोई प्रोटेक्टिव ट्रान्सपैरेन्ट प्लेक्सी शीट लगवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मेरे न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश दिनांकित 16 अक्टूबर 2020 के कम में डायस को शेष न्यायालय कक्ष से विभाजित करते हुए कोई प्रोटेक्टिव ट्रान्सपैरेन्ट प्लेक्सी शीट अभी तक नहीं लग सकी है। मुझे दिसम्बर 2020 में कोविड 19 संक्रमण हो चुका है और प्रोटेक्टिव ट्रान्सपैरेन्ट प्लेक्सी शीट लगने से कोविड–19 संक्रमण से बचाव सम्भव हो सकेगा।

अतः श्रीमान जी से ससम्मान अनुरोध है कि श्रीमान जी के विचार से यदि सम्भव एवं उचित हो तो मेरे न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र संख्या 815/इन्फ्रा सेलः इलाहाबाद, दिनांक 16 अक्टूबर 2020 में पारित निर्देश के कम में कोई प्रोटेक्टिव ट्रान्सपैरेन्ट प्लेक्सी शीट लगवाए जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित करने की कृपा करें।

श्रीमान जी की महती कृपा होगी।

भवदीय,

Recd 29-6-21

दिनांक :- 29.06.2021

(नन्द प्रताप ओझा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
अलीगढ़।

True Copy
Session Cleark
Spl. Judge (POCSO), Aligarh

Annexure No - 30

53

कार्यालय अध्यक्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-समिति, जनपद न्यायालय अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
अलीगढ़।

विषयः- **माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोविड-19 के बचाव के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सादर अनुरोध करना है कि श्री नन्द प्रताप ओझा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट) के पत्र दिनांकितः- 29.06.2021, जिसके माध्यम से पोक्सो एक्ट न्यायालय में प्रोटेक्टिव ट्रान्सपैरेन्ट प्लेक्शी शीट लगवाये जाने का अनुरोध किया गया है, पर माननीय महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.06.2021 के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि कोविड-19 वायरस से सुरक्षा के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय के **पत्र संख्या 815/इन्फ्रा.सेल,इलाहाबाद, दिनांकित - 16 अक्टूबर, 2020** द्वारा प्लेक्शी शीट लगवाये जाने हेतु निर्देशों के क्रम में जनपद न्यायालय अलीगढ़, बाह्य न्यायालय अतरौली, बाह्य न्यायालय इगलास एवं बाह्य न्यायालय खैर में पारदर्शी प्लेक्शी शीट लगवाये जाने हेतु स्थानीय स्तर पर दो फर्मों के कोटेशन प्राप्त कर उचित दिशा निर्देश हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को कार्यालय के **पत्र संख्या 1653/एक्स.वी.-सिविल दिनांकित 12 नवम्बर, 2020(छायाप्रति संलग्न)** से प्रेषित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में दिशा-निर्देश अभी प्रतीक्षारत है।

तदानुसार आख्या माननीय महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित हैं।

सादर।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

दिनांकः- 02.07.2021

02/7/21

(शाहिद रजा),
अध्यक्ष, इन्फ्रास्ट्रक्चर उप समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01
अलीगढ़।

S/W Nand Pradeep Ojha ADJ/Spl. Judge (POCSO Act) be informed accordingly.
DJ.
05/07/21

Self Attested

Copy to:
S/W Nand Pradeep Ojha
Spl. Judge (POCSO Act)

True Copy
Session Clerk
Spl. Judge (POCSO ... Aligar

सलग्न

Annexure No - 31

54

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, ALIGARH

Order No.127 Dated 14.07.2021

All the Officers are directed to furnish the below mentioned details pertaining to the year 2020-21 for the purpose of submission of their Annual Confidential Remarks:-

1. Number of cases decided wherein all the witnesses of fact turned hostile and the case ended in acquittal.
2. Number of cases wherein after conclusion of arguments and reserving them for judgment, rehearing was ordered.

The aforementioned details should reach the Administrative Office positively by 12:00 noon on 15.07.2021 and not later in any case. Let this order be circulated forthwith through proper media amongst all the Judicial Officers for necessary and timely compliance.

Sd/- 14.07.2021

District Judge,
Aligarh.

Self Attested
18.8.2021

संलग्न-2

Annexure No - 32

55

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, ALIGARH

Order No.125 of 2021

Consequent upon transfer of certain Judicial Officers from Aligarh to other stations and from other stations to Aligarh, under the transfer orders of the Hon'ble High Court; all the previous orders passed in respect of the Officers-in-Charge, are modified forthwith to the following extent for smooth functioning of administration: -

Sl. No.	Name of the Officers	Designation	Department/ Section
1.	Sri Manoj Kumar Agrawal	Special Judge (SC/ST-Act)	Record-Room
2.	Sri Siddhartha Singh	Addl. Distt. & Sess. Judge, Court no. 12, Aligarh	Litigation
3.	Sri Ashok Bhartendu	Addl. Distt. & Sess. Judge, Court no. 08, Aligarh	Telephone
4.	Sri Mohd. Firoz	ACJM, Court no.01	Oath Commissioners
5.	Sri Arijeet Singh	Civil Judge (Jr. Div.)/FTC	Asstt. Nodal Officer Computers

Inform all concerned accordingly.

Dated: July 07, 2021

Sd/- 07/07/2021
(Vivek Sangal),
District Judge,
Aligarh.

Self Attested
Sd/-
08.8.2021